

News' of 13 March, 1979, has been seen.

(b) & (c). The allegation in the news item was that funds of the Paradip Port Trust had been misappropriated in connection with a 'Souvenir' brought out in 1972 on the occasion of a Seminar. The 'Souvenir' was not, however, brought out by or on behalf of the Port Trust, it was published by the Editor. Therefore, the question of misappropriation of Port Trust's funds does not arise.

**जमालपुर कारखाने में श्रमिकों की संख्या**

11115. डा० रामजी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता से पूर्व और इस समय जमालपुर कारखाना में श्रमिकों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ।

(ख) घास-पास के क्षेत्रों से जमालपुर कारखाने में किस अनुपात में छोटे कल-युक्त सलाई किये जाते हैं ;

(ग) क्या जमालपुर को सहायक औद्योगिक नगर घोषित किया गया है, यदि हां, तो यहां से खरीदी गई वस्तुओं की मात्रा क्या है और यदि नहीं, तो इसे सहायक औद्योगिक नगर कब घोषित किया जायेगा, और

(घ) क्या जमालपुर कारखाने के मुख्यालय को जमालपुर ले जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :**

(क) स्वतंत्रता से पूर्व जमालपुर फैक्ट्री के कर्मचारियों की संख्या 12,742 थी । वर्तमान संख्या 13,431 है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभ्य-स्टल पर रकब दी जायेगी ।

(ग) रेल कारखानों से सम्बद्ध सहायक एजेंटों के विकास की संकल्पना की गहराई

से जांच की गयी है और रेल कारखानों के निकट लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने का विनिश्चय किया गया है ।

(घ) जमालपुर कारखाना स्वतंत्र रूप से अधीनक यांत्रिक (कारखाना) के अधीन है, जिसका मुख्यालय जमालपुर में है । स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । जमालपुर और पूर्व रेलवे के अन्य सभी कारखाने मुख्य कारखाना इंजीनियर, पूर्व रेलवे के समग्र नियंत्रण के अधीन हैं, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है ।

**जाबरा भूगर मिल के विरुद्ध भविष्य निधि की बकाया राशि**

11116. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या संसदीय कार्य तथा धन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की भविष्य निधि की जाबरा भूगर मिल के प्रबंधकों पर लगभग 5 लाख रुपये की राशि बकाया है ;

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की है ;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अधीन उक्त मिल को छूट प्रदान की गई है ;

(घ) क्या छूट के बारे में उपबन्ध को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिल के विरुद्ध दापर किए गए भविष्य निधि के मामलों की संख्या कितनी है ?

**धन तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा० राम कृपाल सिंह )**

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) मार्च, 1979 के अन्त तक, मैसूर जावरा भुगर मिल्स लिमिटेड, जावरा, मध्य प्रदेश को भविष्य निधि प्रबंधनों के रूप में 3,47,259.21 रुपए की धनराशि न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित करनी थी। जो उनके भविष्य निधि का संचालन करता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) अभी नहीं।

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि प्रौढ प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2क) के अधीन दस अधियोजन मामले न्यायालयों में दाखर किए गए हैं तथा भारतीय बंड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखर की गई है।

#### Telephone Bill, of RPF, Karnataka

11117. SHRI RAM PRAKASH TRIPATHY: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) what is the telephone bills of the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka, month-wise for the last one year and whether it does not cross all limits; and

(b) what action Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR & PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA): (a) The Employees Provident Fund Organisation has reported as follows:

Telephone bills are received and paid quarterly. The amount of telephone bills of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka dur-

ing the period from 11.2.1978 to 10.2.1979 are given below:—

Office telephone:—

(1) 11.2.1978 to 10.5.1978 ... Rs.14,322/30

(2) 11.5.1978 to 10.8.1978... Rs.15,224/25

(3) 11.8.1978 to 10.11.1978 ... Rs.9,724/85

(4) 11.11.1978 to 10.2.1979... Rs.10,506/35

Residential Telephone:

(1) 21.11.1978 to 10.12.1978...Rs. 219/-

(2) 11.12.1978 to 10.3.1979...Rs. 1,201/20

(b) Government have advised the Employees Provident Fund Organisation to take suitable measures to bring down the expenditure which appears to be on the high side.

Shipping Corporation of India's Plan to help the Shippers in the Northern Region

11118. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Shipping Corporation of India has a plan to help the shippers in the Northern region; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) & (b). The Shipping Corporation of India presently has a small liaison office in Delhi. This office is proposed to be developed into a Regional office equipped to give information regarding sailings, freight rates and other matters in order to help the shippers in the northern region.

Ballavpur-Surjagarh Railway Line

11119. SHRI RAJE VISHVESHWAR RAO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether he had promised the people of the Chandrapur District in Maharashtra State to lay a railway line to Surjagarh from Ballavpur when he last visited Chandrapur;

(b) why, then the Government are delaying in laying that line, when many